



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बीकानेर में राजस्व पटवारी 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 09 मई, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संदीप कुमार स्वामी राजस्व पटवारी हल्का खारा, तहसील व जिला बीकानेर को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि का नामान्तरण खोलने की एवज में संदीप कुमार स्वामी राजस्व पटवारी हल्का खारा, तहसील व जिला बीकानेर द्वारा 4 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला के सुपरवीजन में एसीबी बीकानेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द कुमार द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये संदीप कुमार स्वामी पुत्र श्री रमेश कुमार स्वामी निवासी 3 सी 13, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर हाल राजस्व पटवारी हल्का खारा, तहसील व जिला बीकानेर को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं उसके निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।